



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली - 110 001

फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

याचिका सं. 76/टीएल/2024

दिनांक: 26.4.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

करेरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (अपरावा एनर्जी प्रा. लि. की एक 100% पूर्ण स्वामित्व अनुषंगी), टी-15ए, थर्ड फ्लोर, सेलकॉन, रासविलास, साकेत, नई दिल्ली-110017 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार पर "पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना XXXIII (डब्ल्यूआरईएस - XXXIII) : पार्ट बी" (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14, 15 और 79(1) (ड) के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से माह में अनुसूचित सीओडी
1.	1x330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर और 1x125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर सहित करेरा (नजदीक दतिया) में 2x1500 एमवीए, 765/400 केवी, 2x500 एमवीए, 400/220 केवी एस/एस की स्थापना - 2 नं. (वन स्पेयर यूनिट सहित 7x500 एमवीए सिंगल फेस यूनिट) 400/220 केवीए 500 एमवीए आईसीटी - 2 नं. 765 केवी आईसीटी बे - 2 नं. 400 केवी आईसीटी बे - 4 नं. 220 केवी आईसीटी बे - 2 नं. 765 केवी आईसीटी बे - 2 नं. 330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर - 1 नं. (वन स्पेयर यूनिट सहित 4x110 एमवीएआर सिंगल फेस यूनिट) 125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर - 1 नं. 765 केवी बस रिएक्टर बे-1 नं. 400 केवी बस रिएक्टर बे-1 नं. 220 केवी बस कपलर बे-2 नं. 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे-2 नं. 220 केवी लाइन बे - 8 नं. (एमपीपीटीसीएल# द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली 220 केवी लाइनों के लिए) 220 केवी बस सेक्शनलाइजर - 1 सेट भावी प्रावधान: स्थान के लिए: • 765/400 केवी आईसीटीओ सहित - 4 नं. • स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 765 केवी लाइन बे - 8 नं. • बे सहित 765 केवी बस रिएक्टर : 3 नं. • 765 केवी सेक्शनलाइजर : 1 सेट • स्विचेबल लाइन रिएक्टर सहित 400 केवी लाइन बे - 10 नं. • 400/220 केवी आईसीटी सहित - 6 नं. • 400 केवी बस रिएक्टर सहित बे - 3 नं. • 400 केवी सेक्शनलाइजर बे - 1 सेट • 220 केवी लाइन बे-10 नं. • 220 केवी सेक्शनलाइजेशन बे- 1 सेट	24 माह
2.	करेरा में सतना-ग्वालियर 765 केवी एस/सी लाइन का लीलो	
3.	स्विचिंग उपकरण सहित करेरा के दोनों सिरों पर - सतना 765 केवी लाइन 765 केवी, 330 एमवीएआर एसएलआर पर 1x330 एमवीएआर, स्विचेबल लाइन रिएक्टर की स्थापना - 1 नं. - (3x110 एमवीएआर) [लाइन रिएक्टर के लिए भी स्पेयर के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले बस रिएक्टर के लिए 110 एमवीएआर सिंगल फेस रिएक्टर यूनिट]	

#करेरा एवं करेरा - सियोधा 220 केवी डी/सी लाइन तक पिछोरे 220 केवी के लिए 220 केवी दतिया - बिना लाइन के लीलो भाग के विस्तार, करेरा में बिना - दतिया 220 केवी डी/सी लाइन के दोनों सर्किटों का लीलो

नोट:

- (i) कार्यान्वयन टाइमफ्रेम : एसपीवी अंतरण की तारीख से 24 माह
- (ii) एमपीपीटीसीएल आईएसटीएस प्रणाली के टाइमफ्रेम के मिलान में डाउनस्ट्रीम नेटवर्क निष्पादित करेगा।
2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 5.3.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञापति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 76/टीएल/2024 में दिनांक 24.04.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोत्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञापति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. करेरा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.apraavac.com पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(5) के खंड(क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञापति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 17.05.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक 22.05.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-
(हरप्रीत सिंह पृथी)
सचिव